न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/135

1. हुकमचन्द आत्मज श्री हीरालाल जाति रैगर निवासी खेरखटा हाल रंगबाडी, कोटा ।
2. रामस्वरूप आत्मज हीरालाल जाति रैगन निवासी ग्राम खैरखटा हाल निवासी बालिता रोड, कोटा ।
3. हरिओम आत्मज हीरालाल जाति रैगर निवासी खेरखटा हाल निवासी सकतपुरर, कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लादू लाल आत्मज श्री हजारी जाति तेली निवासी खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व कब्जा प्राप्त करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या नया 114 पुराना 94 की खसरा नम्बर 38 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 की 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 की रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 42 रकबा 17 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 43 की रकबा 10 बीघा कुल किता 06 की कुल रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । वादीगण आपस में सगे भाई हैं और अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । प्रतिवादी कम 1 सवर्ण जाति का सदस्य है। उक्त भूमि वादीगण के पिता के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की भूमि है । वादीगण कमाने खाने व आर्थिक दृष्टि से पिछडे होने से बाहर चले गये । वादीगण के पिता के बाहर जाने के बाद प्रतिवादी कम 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके उक्त भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली । उक्त इन्द्राज धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में अंकित प्रतिवादी क्रम 1 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि को रहन, बेचान व अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । वादीगण अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 सवर्ण जाति का सदस्य है । उक्त भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की होने से उक्त भूमि सवर्ण जाति के व्यक्ति के खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती । उक्त इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 01.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी गॉव में अन्य लोगों द्वारा बताने पर हुई जिस पर दिनांक 23.07.2015 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने हक, घोषणा का दावा पेश किया था। वादीगण अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सवर्ण जाति के सदस्य हैं । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर फर्जी रूप से इस आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है और इस इन्द्राज के आधार पर 05 वर्ष पूर्व इस आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था और इसे लोक अदालत में रखा गया ।

लोक अदालत में पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया । लोक अदालत में अपीलान्ट वादीगण उपस्थित भी नहीं हुए हैं उनको लोक अदालत की कोई सूचना भी नहीं दी गई थी और उसी दिन दावा खारिज किया गया है जो सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय को दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में हक, घोषणा का दावा पेश किया है । वादग्रस्त आराजी संवत् 2007 से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । तत्समय धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में नहीं था । वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है । आदेश 14 नियम 02 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 1980 पेज 601 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा हक, घोषणा का दावा पेश किया गया था जिसका जवाब प्रतिवादीगण ने दिया था । विधिक प्रावधानों के अनुसार दावे को अस्वीकार करते हुए यदि जवाबदावा पेश किया जाता है तो तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 01.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में सिर्फ प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं । वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निर्णय किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधारें पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर

प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट

15. निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा